Order sheet [Contd]

case No: B.A. - 337 / 17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

25-09-17 02:45 to 03:00 pm

आवेदक / अभियुक्त सत्यभान सिंह द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। आपत्तिकर्ता भानुप्रताप सिंह सहित श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप०।

थाना मौ के अपराध क्रमांक 216 / 17 अंतर्गत धारा—323, 324, 294, 506, 326 भा0द0सं0 की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक सत्यभान के जमानत आवेदन के साथ उसके पुत्र प्रदीप सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 दं०प्र०सं० है। इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकृति का आवेदन इस न्यायालय में, समकक्ष न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक ग्राम गिरगांव थाना गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड का स्थाई निवासी होकर सीधा—साधा व्यक्ति है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस थाना गोहद द्वारा फरियादी की झूठी रिपोर्ट पर से गलत रूप से अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आवेदक दिमागी बीमारी से पीड़ित रहता है। आवेदक केवल 19.09.17 से निरोध में है। जेल में रहने से उसकी बीमारी का सही उपचार नहीं हो पाएगा और बिना इलाज के वह अत्यधिक दिमागी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। वह न्यायालय की समस्त शर्तों का पालन करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रहा किए जाने की प्रार्थना की गई है

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

आपत्तिकर्ता की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि अभियुक्त / आरोपी के घरवाले व उसके पुत्र उसे धौंस देते हैं कि राजीनामा कर लो नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे साक्षियों का जान से खत्म कर देंगे। हम तुम्हारे साथ इससे भी बड़ी घटना घटित कर देंगे तथा यदि राजीनामा नहीं किया तो तुम्हें हार खेत पर नहीं जाने देंगे। ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्त / आवेदक को जमानत का लाभ

दिया गया तो वह उसके तथा उसके परिवार के साथ अप्रिय घटना ध ाटित कर सकता है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफीयत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार फरियादी नेपाल सिंह के चाचा भानुप्रताप सिंह डाडे वाले खेत पर तिली का खेत रखा रहा था उसके साथ उसका भतीजा वह भी था। दिनांक 25.08.17 को उसके गांव का सत्यभान सिंह गूर्जर उसके खेत में जबरदस्ती भैंस चराने लगा तो उसने भैंस चराने से रोका तो वह उसे अश्लील गालियां देने लगा। जब उसे गालियां देने से मना किया तो सत्यभान द्वारा उसके सिर पर कुल्हाडी मारी जो सिर में लगी जिससे गंभीर चोट होकर खून निकल आया और वह जमीन पर गिर पड़ा तब वह और छ्न्ना गूर्जर दौड़कर आए तो सत्यभान कह रहा था कि आज तो बच गया आइंदा जान से खत्म कर देंगे। जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्व ारा थाना मौ पर की गई। जिस पर से पुलिस मौ के द्वारा धारा-323 324, 394 एवं 506 भा0दं०सं० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।

केस डायारी में एम.एल.सी एवं एक्सरे रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार आहत भानू प्रताप गुर्जर की दाहिनी फंटल बोन पर फेक्चर आना पाया गया है। वार कुल्हाडी से किया गया है। पुलिस के द्वारा धारा–326 भा0दं0स0 का इजाफा किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक के कृत्य तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति थाना मौ की और केस डायरी सहित वापस भेजी जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें। ALLER TO STATE OF THE PARTY OF

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

Parties or
Pleaders where
necessayry
_

ALIMAN PARENTA LANGE TO THE PA ATTARAN PARETO STATE OF STATE